

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

सा.का.नि.(आ.)..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-II में, मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी अर्थात्:-

“6. पूर्ण प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में पुलिस अधीक्षक (गैर आई पी एस), अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, उप विधिक सलाहकार, ज्येष्ठ लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, नेटवर्क प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ निजी सचिव, स्टेनोग्राफर श्रेणी-ग/वैयक्तिक सहायक, सहायक और अकाउन्टेंट के पद पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती की जा सकेगी।”।

[सं. 39018/11/2009-स्था(ख)]

(सी.बी.पालीवाल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :-मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि.सं. 789, तारीख 13 सितम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया अर्थात्:-

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1.	1197	20 दिसम्बर, 1958
2.	1451	10 दिसम्बर, 1960
3.	731	3 जून, 1961
4.	1047	26 अगस्त, 1961
5.	382	31 मार्च, 1962
6.	1644	8 दिसम्बर, 1962
7.	1689	15 दिसम्बर, 1962
8.	578	6 अप्रैल, 1963
9.	1888	14 दिसम्बर, 1963
10.	679	2 मई, 1964
11.	431	20 मार्च, 1965
12.	599	24 अप्रैल, 1965
13.	1672	20 नवम्बर, 1965
14.	388	19 मार्च, 1966
15.	622	30 अप्रैल, 1966
16.	944	18 जून, 1966
17.	1433	21 जून, 1969
18.	633	18 अप्रैल, 1970
19.	879	6 जून, 1970
20.	1654	6 नवम्बर, 1971
21.	168	24 फरवरी, 1973
22.	465(अ)	14 नवम्बर, 1974
23.	594	17 मई, 1975
24.	2288	30 अगस्त, 1975
25.	1063	24 जुलाई, 1976
26.	610	14 मई, 1977
27.	740	2 जून, 1979
28.	441(अ) शुद्धिपत्र	14 जुलाई, 1979
29.	73	23 जनवरी, 1982
30.	480 शुद्धिपत्र	29 मई, 1982

31.	481	29 मई, 1982
32.	329	6 अप्रैल, 1985
33.	479	18 मई, 1985
34.	512	1 जून, 1985
35.	918	5 अक्टूबर, 1985
36.	268	12 अप्रैल, 1986
37.	1071	20 दिसम्बर, 1986
38.	273	18 अप्रैल, 1987
39.	74	6 फरवरी, 1988
40.	590	23 जुलाई, 1988
41.	704	23 सितम्बर, 1989
42.	37	20 जनवरी, 1990
43.	623	6 अक्टूबर, 1990
44.	666	30 नवम्बर, 1991
45.	383(अ)	24 मई, 1999
46.	219	17 जुलाई, 1999
47.	88	17 फरवरी, 2001
48.	54	8 फरवरी, 2003
49.	232	14 जून, 2003
50.	405	22 नवम्बर, 2003
51.	247	23 जुलाई, 2005
52.	349	8 अक्टूबर, 2005
53.	204(अ)	3 अप्रैल, 2006
54.	134	10 जून, 2006
55.	567(अ)	30 जुलाई, 2008
56.	297(अ)	30 अप्रैल, 2009
57.	544(अ)	22 जुलाई, 2009
58.	727(अ)	07 अक्टूबर, 2009

सं० 39018/11/2009-स्था(ख)

तारीख : 6.1.2010

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंगरोड

नई दिल्ली ।